07/2010 IV

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 455157



माँ जानकी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट

घोषणा प्रलेख

हम कि अनुपम सिंह स्व0 राम निधि सिंह, उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बरौली, पोस्ट बदलापुर तहसील बदलापुर जिला जौनपुर का स्थायी निवासी हूँ। हम मुकिर गरीब व दुःखी लोगों की मदद की प्रेरणा से प्रभावित होकर इस न्यास का यह विलेख आज दिनांक 11–02–2010 को स्वेच्छा से पूरा विचार करके स्वस्थ मन से निस्पादित कर रहे हैं। जो प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। श्री अनुपम सिंह ट्रस्ट के निर्माण हेतु 1001–रुपये नगद माँ जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रस्ट के उपस्थित सदस्यों के सामने दिया और बोर्ड के ट्रस्टियों के उपरोक्त फण्ड को स्वीकार किया।

ट्रस्ट का नाम :– ट्रस्ट का नाम "माँ जानकी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट" होगा।

ट्रस्ट का मुख्यालय :– इसका मुख्यालय हमेशा ग्राम बरौली, पोस्ट बदलापुर तहसील बदलापुर जिला जौनपुर होगा। केवल कार्य की आवश्यकता देखते हुए इसका उप मुख्यालय अन्यत्र बोर्ड के ट्रस्टियों की सहमति से खोला जा सकेगा।

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्ट का उद्देश्य :– ट्रस्ट का फण्ड निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जायेगा।

Anupam Singh

थाना कुंवर सतनाम सिंह जी
स.थ.बदलापुर का.नं 198
बोलपुर

Anubam Singh

Anubam Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 455158

(क) किसी भी नर्सरी, एल0 के0 जी0, यू0 के0 जी0, प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर या डिग्री कालेजों को खोलने या पहले से खुले हुए को संचालित करने रख–रखाव करने व उसका विकास करने मे किया जायेगा।

(ख) ट्रस्ट के फण्ड द्वारा इन्जीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा (आई0 टी0 आई, पालिटेक्निक व चिकित्सा शिक्षा) आदि के कालेज खोलने व चलाने का कार्य किया जायेगा।

(ग) विकलांगों के लिए अलग से स्कूल खोलना व विकलांग, विधवाओं, अत्यन्त गरीब बच्चों एवं अनाथ, की यथा सम्भव आर्थिक एवं चिकित्सकीय मदद करना एवं उनकों पुर्नस्थापित करना।

(घ) ट्रस्ट के फण्ड का प्रयोग वाचनायलय, पुस्कालय, क्षात्रावास आदि के निर्माण व रख–रखाव करना तथा उसमें सशर्त पात्र व्यक्ति द्वारा निःशुल्क प्रयोग करने की अनुमति देने में किया जायेगा।

(ड) गरीब व जरुरतमन्द व योग्य विद्यार्थियों के शुल्क में छूट प्रदान करने, पुरस्कार व क्षात्रवृति प्रदान करने में जाति, लिंग व धर्म के भेद–भाव के विना किया जायेगा।

(च) किसी भूमि को क्रय करने, भवन का निर्माण करने या किसी कैम्पस की सेरचना कनने में जिससे कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, में किया जायेगा।

Anupam Singh

क्रमांक 1541 ... दि० 11 2 मु० 250 4731424
प्रयोजन 2018
सन
सा० ... पुत्र/पत्नी ... 1540 ...
प० ... दि० ...

रविश कुमार स्टाम्प विक्रेता
ग्रा.बहलापुर ना.नं 198
बीनपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 455159

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार ,बेरोजगारों के लिए रोजगार तथा प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं रोजगार परख शिक्षा पर विषेश बल देना।

(झ) ट्रस्ट के फण्ड का प्रयोग अस्पताल, डिस्पेन्सरी, मातृत्व प्रसवगृह आदि के निर्माण हेतु भूमि खरीदने व भवनों के निर्माण व चलाने में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

(ञ) गरीबों व जरुरत मन्दों की मदद नगद रुप में या चिकित्सीय जिसके द्वारा गरीबों की मदद किया जा सकेगा।

(ट) बाढ ग्रस्त लोगों या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित लोगों को मदद प्रदान करनें में।

(ठ) ट्रस्ट के फण्ड का प्रयोग जैम, जैली, अचार, मुरब्बा, मोमबत्ती व काष्ठ कला एवं कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित कार्यो के करने में लोगों को प्रशिक्षण देने व कार्यो के करनें में किया जा सकेगा।

(ड) लोगों को कम्प्युटर के क्षेत्र में साक्षर बनानें में कार्य किया जायेगा।

(ढ) पानी की व्यवस्था के लिए कुओं या तालाब खुदवाने में खर्च करना।

(ण) गरीब लडकियों का विवाह कराने व सामुदायिक विवाह सम्पन्न कराने व इस सम्बन्ध में लोगों कों प्रोत्साहित करने व आगें बढाने में किया जायेगा।

Anupam Singh

क्रमांक 1543 दि० 11-2-2016 मु० 2500 रुपये
प्रयोजन ... ...
द्वारा ... ... पुत्र/पत्नी ... ...
का नि० ... ... 1540 ...
वि० ... ... जि० ... ...

विनोद कुमार स्टाम्प विक्रेता
हजरतपुर नं० 198
चेदुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 455160

(त) गांधी जी के उद्देश्यों और विचारों के अनुसार खादी ग्रामोउद्योग, खादीबोर्ड, तथा सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं जो कि क्षेत्र में प्रचार–प्रसार में लगी हुई हैं। उनसे तकनीकी नीतियों और कार्यों को लेकर उसका विकाश करना तथा उसका प्रशिक्षण व बढावा देना।

(थ) चलचित्र और भोजपुरी फिल्मों द्वारा समाज में जागरुकता फैलाना तथा चलचित्रों का निर्माण करना। और इसको बढावा देना।

(द) कैन्सर, टी0बी0, एच0 आई0 वी0, और अन्य संक्रामक रोंगों से पीडित मरीजों के इलाज की व्यस्था करना, तथा संक्रामक रोंगों के प्रति जागरुकता फैलाना।

(ध) ट्रस्ट का फण्ड कानूनी तौर से उचित किसी भी कार्य में प्रयोग किया जा सकता है। जिसको ट्रस्टी उचित समझें।

(न) उपरोक्त हेतु यह ट्रस्ट बिना किसी भेद– भाव के उपर्युक्त प्रकार के लोक कल्याण के कार्यो को पूरा करने का प्रयत्न करेगा। जिसके लिए व्यक्तियों, संस्थाओं, तथा सरकारों से अनुदान, चन्दा, दान, क्रय, सेविदा तथा अन्य वैध तरीकों द्वारा चल अचल सम्पत्ति प्राप्त व अर्जित कर सकेगा।

5– निम्नलिखित ट्रस्टी ट्रस्ट के स्थायी सदस्य होगें।

1– अनुपम सिंह पुत्र स्व0 राम निधि सिंह
ग्राम बरौली, पोस्ट बदलापुर, जौनपुर
Anupam Singh

क्रमांक 1343 दि० 11-2-2010 पु० 500 रु० 500/-

प्रयोजन ...

स्टाम्प ...

राकेश कुमार स्टाम्प विक्रेता
बदायूं नं. 198
बदायूं



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 455161

2– श्रीमती माया सिंह D/O श्री हवलदार सिंह
ग्राम– गोडहरा पोस्ट व तहसील–लालगंज आजमगढ
3– सुधांशू सिंह S/O श्री हौसिला प्रसाद सिंह
ग्राम बरौली, पोस्ट बदलापुर, जौनपुर

उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम व प्रारम्भिक ट्रस्टी हैं। जिनके पक्ष में ट्रस्ट की वर्तमान सम्पत्ति संकलपित व निहित हुई है। इस ट्रस्ट की स्थापना कारने वाले इस ट्रस्ट के उपरोक्त ट्रस्टी इस ट्रस्ट के आजीवन सदस्य रहेंगें व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में भी होगें। ट्रस्ट के स्थायी सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी। आवश्यकता हुई तों बोर्ड आफ ट्रस्टीज अस्थायी सदस्यों का चयन सर्वसम्पत्ति से कर सकते है। जो न्यास में आस्था रखते है। तथा जिन्होनें ट्रस्ट में कम से कम 5001 रु0 का अनुदान दिया हो।

बोर्ड आफ ट्रस्टी के स्थाई सदस्यों में से ही ट्रस्ट का अध्यक्ष, प्रबन्धक होगा। प्रबन्धक ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी व अपर कार्याधिकारी होगा। ट्रस्ट का प्रबन्धक ही ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण या प्रशिक्षण या अन्य संस्थाओं का प्रबन्धक होगा। एवं मुख्यकार्य कार्याधिकारी होगा। तथा अन्य पदों पर चयन हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक कर दो तिहाई मतो से चयन करेगा।

6– ट्रस्ट की सम्पत्ति :–

Anupam Singh

क्रमांक 1454 दि० 11-2 मु० 500 रु०
प्रयोजन ... 2410 ...
नाम ... पुत्र/पत्नी ... 1443 ...
सा० ... प० ...
ति० ... जि० ...

राकेश कुमार स्टाम्प विक्रेता
इब्रहमपुर ना.नं 198
बीकानेर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 455842

वर्तमान समय में रु0 1001/—से इस ट्रस्ट का सृजन हो रहा है। और भविष्य में उपरोक्त यह ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने ट्रस्टी / सदस्यों से विधि के अनुसार कोई चल या अचल सम्पत्ति वसीयत, दान, क्रय अथवा संविदा द्वारा अर्जित/प्राप्त/स्वीकार कर सकता है।

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी उपलब्ध कोष को अपने सदस्यों के परामर्श से खर्च कर सकता हैं।

ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति को अपरिहार्य परिस्थिति में ही बोर्ड आफ ट्रस्टीज के दो तिहाई सदस्यों की अनुमति से रेहन, पट्टा अथवा विक्रय द्वारा आन्तरित कर सकते हैं। ट्रस्ट की नगद सम्पत्ति उनके किसी सदस्य के व्यक्तिगत खाते में किसी भी दशा में नहीं जायेगी।

ट्रस्ट के खाते में नगद रकम किसी दशा मे 3000 रुपयें से कम किसी दशा या समय में नहीं होगी। यदि ट्रस्ट के स्थायी या अस्थायी सदस्य यदि कोई चल सम्पत्ति प्राप्त करते है। तो उसे एक माह के अन्दर ट्रस्ट के कोष मे अथवा अचल है तो ट्रस्ट के कार्यालय में जमा कर देगें अन्यथा उनके विरुद्ध गबन का दोष माना जा सकता है। तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

7— बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज/ट्रस्टियों की वर्तमान स्थिति एवं वर्तमान व भावी पारस्परिक सम्बन्ध

Anupam Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 455843

क– वर्तमान में श्री अनुपम सिंह पुत्र स्व0 राम निधि सिंह मुख्य संस्थापक न्यासी के रुप में आजीवन न्यासी (ट्रस्टी)रहेगें तथा न्यासी मण्डल के आजीवन प्रबन्धक रहेंगें व सुधांशू सिंह S/O श्री हौसिला प्रसाद सिंह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रहेंगें। व माया सिंह पुत्री श्री हवलदार सिंह न्यासी मण्डल के आजीवन अध्यक्ष रहेंगें। तथा कार्यों का दायित्व सौपा जायेगा।

ख– संस्थापक मण्डल के सभी स्थायी सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वह अपने जीवन काल के दौरान की अपने परिवार से अपना उत्तराधिकारी या परिवार का वह सदस्य जो न्यास में आस्था रखता हों तथा स्वस्थचित्त हों रजिस्टर्ड

उत्तराधिकारी घोषित कर सकता हैं जो उनकी मृत्यु के उपरान्त बोर्ड आफ ट्रस्टीज के रुप में कार्यभार ग्रहण करेगा। यदि रजिस्टर्ड उत्तराधिकारी का नाम देने से पूर्व किसी दुर्घटना अन्य सदस्य उसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती हैं। तो ट्रस्ट के अन्य सदस्य उसी परिवार के किसी वरिष्ठ पुरुष उत्तराधिकारी जो स्वस्थ चित्त और ट्रस्ट में आस्था रखता हो, ट्रस्टी के रुप में चुनेंगें। यदि परिवार के कोई भी पुरुष सदस्य नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में उसी परिवार के किसी महिला को ट्रस्टी बनाया जायेंगा।

ग– उपरोक्त कथन के अनुसार कोई व्यक्ति अवयस्क भी हो सकता है, परन्तु अवयस्क होने की दशा में उनके नैसर्गिक माता पिता या उनके अभाव में न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ट्रस्टी की तरह कार्य करेगा।

Anupam Singh

क्रमांक 1446 दि० 11-2 मु० [illegible]

प्रयोजन [illegible]

[illegible] पुत्र/पत्नी [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] कुमार [illegible]

[illegible]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 455844

लेकिन उसे नया ट्रस्टी बनाने, ट्रस्ट के नियमों में संसोधन करने तथा ट्रस्ट की किसी प्रापर्टी कों बेचने का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तब तक कार्य कर सकेगा, जब तक अवयस्क वयस्क न हो जाए। वयस्क होते ही वही स्थायी ट्रस्टी हो जायेगा। और कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रस्टी का पद व अधिकार स्वतः समाप्त माना जायेगा।

घ– बोर्ड आफ ट्रस्टीज के मुख्य स्थापक ट्रस्टी श्री अनुपम सिंह को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे अपने कार्य की जिम्मेदारी किसी अन्य ट्रस्टी को दे सके। जिनका चयन कुछ कार्यों के लिए मात्र तीन वर्षो के लिए होगा।

ङ– बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अस्थायी सदस्यों को अपना उत्तराधिकारी नामित करने व ट्रस्ट के सदस्यों के चुनाव के चुनाव आदि में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

च– इस्तीफा देने या अन्य किसी प्रकार से अस्थायी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर बोर्ड आफ ट्रस्टीज को यह अधिकार होगा कि वे बहुमत के आधार पर किसी स्वस्थचित्त व्यक्ति जो ट्रस्ट के कार्यो में आस्था रखता हो तथा दायित्व संभालने की क्षमता रखता हो एवं उसने ट्रस्ट में रु0 5001/ का अनुदान दिया हो। अस्थायी सदस्य नियुक्त कर सकता हैं।

छ– ट्रस्टी श्रीमती माया सिंह जो कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज के आजीवन अध्यक्ष है। तथा प्रथम स्थापक ट्रस्टी श्री अनुपम सिंह जो कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज के जीवन पर्यन्त प्रबन्धक(मैनेजिंग ट्रस्टी) है, व सुधांशू सिंह जो

Anupam Singh

क्रमांक 1447 दि० 11-2 रु० 500 अमानत
प्रयोजन ... 2010 ...
... 1447
...

राजेश कुमार स्टाम्प विक्रेता
ग.बदलापुर ना.नं 198
बीदपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 455845

बोर्ड आफ ट्रस्टीज के आजीवन कोषाध्यक्ष हैं, के पद के अलावा बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अन्य सदस्यों के पद का कार्य काल 3 वर्ष का होगा। प्रत्येक तीन वर्ष बीतने पर ट्रस्ट के सदस्यों का पदाधिकारी के पद पर चुनाव होगा। श्रीमती माया सिंह एवं प्रथम स्थापक ट्रस्टी अनुपम सिंह व कोषाध्यक्ष श्री सुधांशू सिंह की मृत्यु के उपरान्त अध्यक्ष व प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष का पद भी चुनाव के दायरे में स्वतः आ जायेंगा। सभी पदों पर चयन हेतु बहुमत की आवश्यकता होगी। बोर्ड आफ ट्रस्टीज में अध्यक्ष,प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष, एवं दों अस्थायी सदस्य होगें। आवश्यकतानुसार अध्यक्ष सभी न्यासी सदस्यों की सहमति से अस्थायी सदस्यों को ट्रस्टी के रुप में मनोनीत कर के बोर्ड आफ ट्रस्टीज का विस्तार एवं पद सृजन कर सकता है। परन्तु किसी भी दशा में बोर्ड आफ ट्रस्टीज के सदस्यों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा। जो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के कम में दिशा निर्देस देगीं। तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। प्रत्येक दो वर्ष बाद इस सलाहकार सदस्यों की न्युक्ति बोर्ड आफ ट्रस्टीज की संस्तुति से हो सकेगीं। बोर्ड आफ ट्रस्टीज के समस्त सदस्य सलाहकार समिति के भी सदस्य रहेगें। ट्रस्ट के उद्देश्यों में आस्था रखने वाला कोई भी नागरिक रु0 1100/– का अंशदान देकार उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस सहाल

Anupam Singh

राकेश कुमार स्टाम्प विक्रेता
ह.बदलापुर ना.नं 198
बीजपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 455846

का समिति का साधारण सदस्य बन सकता हैं। जिसका कार्यकाल मात्र दो वर्ष का ही होगा। सलाहकार समिति को,बोर्ड आफ ट्रस्टी या उसका कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से अपने ट्रस्ट के कार्य/ दायित्व की देख रेख के लिए नियुक्त कर सकता है, परन्तु बोर्ड आफ ट्रस्टीज के मुख्य अंग न होने के कारण उनके चुनाव आदि में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। बोर्ड आफ ट्रस्टीज का प्रबन्धक बहुमत से इस सलाहकार समिति का निष्प्रभावी/भंग कर सकता है।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष एव प्रबन्धक ही सलाहकार समितियों के पदेन क्रमशः अध्यक्ष व सचिव होगा। सलाहकार समिति के सदस्यों के कार्य न करने पर या निष्प्रभावी होने की दशा में इनका कार्य पदेन अध्यक्ष व सचिव बोर्ड आफ ट्रस्टीज के सहयोग से करेगें।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज सलाहकार समिति के निर्देशों निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

9– प्रबन्धक(मैनेजिंग ट्रस्टी) के अधिकार व कर्तव्य :–

क–मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट के फण्ड को प्रसासित करने तथा उसकी देख–भाल करने का अधिकार होगा। साथ ही मैनेजिंग बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकार प्राप्त होगे।

ख–मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट के सम्पूर्ण कार्यो का निरिक्षण करने का अधिकार होगा।

Anupam Singh

1449

लाइसेंस संख्या 1450

लखन कुमार स्टाम्प विक्रेता
ग.बदलापुर मा.नं 198
बदलापुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ग–मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट के कार्य हेतु किसी प्रापर्टी फण्ड या उधार धन राशि आदि को लेने व प्रयोग करने तथा समाप्त करने का अधिकार होगा।

घ–ट्रस्ट की सम्पत्ति का पूर्ण विवरण उसका लेखा–जोखा रखना तथा समय–समय पर आडिट कराना।

ङ–मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल तक अपने पद पर बना रहेगा।

च–ट्रस्ट के विभिन्न विद्यालयों, केन्द्रो, पाठ्यकामों विभागों आदि के लिए उससे संम्बन्धित विधि एवं नियमों का अनुपालन करना और उसके अनरुप उसकी स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन की व्यवस्था करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित इन विद्यालयों,केन्द्रों संस्थाओं का संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी व उक्त संस्थान के प्रिन्सपल द्वारा संयुक्त रुप से होगा।

छ–संस्था के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, स्थानान्तरण करना, चरित्रालयों को नोट करना व उसपर निर्णय करना तथा उन्हें पदच्युत करना भी प्रबन्धक का कार्य होगा।

9– ट्रस्ट के सदस्यों के कर्तव्य एवं अधिकार :–

क–ट्रस्ट के उद्देश्यों का उचित प्रसार व प्रचार करना और उसे जनप्रिय तथा जनोपयोगी बनाना।

ख–ट्रस्ट के सदस्यों की पूर्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील रहना तथा ईमानदारी एवं निष्ठा से समर्पित रहते हुए अपने कार्य कलाप को स्वच्छ, पारदर्शी व विश्वसनीय रखना।

Anupam Singh

1450 ... दि० 11-2 ... सु० 2017 ...
... 2010 ... ...
... ... पुत्र/पत्नी ... ...
... ... सु० 1450 ... ...
... ...

रविश कुमार
ग्राम बदलापुर पो.ऑ. 198
बलिया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AA 653436

ग–विधि के अनुसार हर आवश्यक व उचित कार्य करना तथा उसके लिए हर तरह से प्रयत्नशीलन रहना।

घ–उपरोक्त ट्रस्ट के अस्तित्व को निरन्तर स्थिर रखना तथा कार्यक्षेत्र एवं सद्गुणों का विकाश करना।

ड–द इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1982 अथवा तत्कालीन विधि के अनुरुप और पारम्परिक रीतिरिवाज और व्यवहार आवश्यक कार्य करना।

च–केन्द्र/राज्य द्वारा प्राप्त समक्ष अनुरक्षण, मेन्टीनेन्स के समुचित उपयोग हेतु सुनिश्चित करना। ट्रस्ट के लिए सभी प्रकार के अनुदान, दान, उपहार, लाभांश तथा चन्दा आदि प्राप्त करना।

10– ट्रस्टीज की वर्ष में कम से कम एक बार पूर्व सूचना के आधार पर बैठक बरना आपानकालीन बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय लिखित सूचना के आधार पर हो सकती है। बैठक में कार्यवाही पंजिका, ट्रस्ट की सम्पत्ति व आय व्यय आदि का लेखा–जोखा व विवरण रखना।

11– ट्रस्ट का प्रबन्धन एवं प्रशासन बोर्ड आफ ट्रस्टीज मे निहित होगा।

12– ट्रस्ट का फण्ड बैंक खाते व सरकारी प्रतिभूति आदि में निवेश होगा। जिसका संचालन ट्रस्ट के प्रबन्धक और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षर द्वारा किया जा सकेगा।

Anupam Singh

1454 दि० 11: 2 पु० ..

पुत्र/पत्नी

रमेश कुमार स्टाम्प विक्रेता
ग.बहलोलपुर पा.नं 198
बहलोलपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 87AA 891671

13– ट्रस्ट सभी प्रकार के खर्च के लेखे–जोखे के लिए एकाउन्ट बुक रखेगा, खर्च के हिसाब की अवधि ट्रस्ट के नियम के अनुसार समय–समय पर बदला जा सकता है।

14– बोर्ड आफ ट्रस्टीज की तरफ से इनक सभी अभिलेखों का प्रमाणीय करण अध्यक्ष अथवा उसकी सहमत से प्रबन्धक अपनी मोहर तथा हस्ताक्षर से करेगें। उसके अतिरिक्त प्रमाणीकरण मान्य नहीं होगा।

15– ट्रस्ट डीड नियुक्त सम्बन्धित दस्तावेज व कार्यवाही रजिस्टर एवं चल एवं अचल सम्पत्ति के अर्जित करने कम में प्राप्त अभिलेख प्रबन्धक के पास ही सुरक्षित रहेगें, जिन्हें आवश्यकतानुसार बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा मांगें जाने पर या आवश्यकता पडने पर प्रस्तुत करना होगा।

16– ट्रस्ट के सभी सदस्य अवैतनिक होगें।

17– यदि कोई ट्रस्टी लगातार दो वर्ष ता वार्षिक मीटिंग में विना उचित कारण बताये अनुपस्थित रहता है। तो यह उसके द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता मानी जाएगी। इस दिशा में बोर्ड आफ ट्रस्टीज अध्यक्ष की अनुमति से दो तिहाई बहुमत से उस स्थान को रिक्त समझकर भर सकेगा।

18– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अपने सदस्यों के चयन, कार्यो के कियान्वयन, उद्देश्यों का विस्तार, सलाहकार समिति निर्देश संस्थाओं के संचालन कर्मचारियों के चयन, निष्कासन आदि का निर्णय अन्तिम होगा। उसके

Anupam Singh

क्रमांक 145 दि. 11. 2 2010





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8744 891472

निर्णयों को कहीं व किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किसी प्रकार का वाद जौनपुर न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आयेगी।

19– **गणमूर्ति**– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में प्रबन्ध समिति या सलाहकार समिति की समस्त बैठकों की गणमूर्ति मानी जायेगी।

20– **सदस्यता की समाप्ति**– ट्रस्टी की सदस्यता निम्न परिस्थिति में समाप्त समझी जायेगी।

क– किसी सदस्य की मृत्यु होने पर

ख– किसी सदस्य की अनैतिक अपराध में लिप्त होने पर

ग– किसी सदस्य के सदस्यता से त्याग पत्र देने की दशा में अध्यक्ष के अनुमोदन पर

21– **हिताधिकारी/बेनीफिशीयर**– समाज के सभी वर्गों के लोगों व असहाय एवं गरीब व्यक्ति जिसमें पुरुष व स्त्री, लडके एवं लडकियां बच्चे सम्मित हैं।

22– **संविधान के संशोधन की प्रकिया**– ट्रस्ट के ट्रस्टीयों को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय मिटिंग बुलाकर दो तिहाई बहुमत से संविधान को संशोधित कर सकेगें तथा आवश्यकतानुसार संशोधित विलेखों का प्रमाणीयकरण कर सकेगें। परन्तु किसी भी दशा में ट्रस्ट के मूलभूत उद्देश्यों में संशोधन का अधिकार नहीं होगा।

Anupam Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

87AA 891673

ट्रस्ट/संस्था के नियमों प्रतिबन्धों, कार्यकलाप सम्बन्धित विवरणों तथा अन्य प्रावधानों के बारे में शंका उत्पन्न होने पर बोर्ड आफ ट्रस्टीज का निर्णय अन्तिम होगा।

इस विलेख के नियमों, प्रतिबन्धों शर्तों व विवरणों पर अपनी सहमती के सबूत में मै अपने नाम तथा सहित पुनः हस्ताक्षर करता हूँ।

Anupam Singh

गवाह के नाम व पता–

लक्ष्मी नारायण अग्रहरी पुत्र राजाराम अग्रहरी
बरौली, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर

लक्ष्मी नारायण अग्रहरी

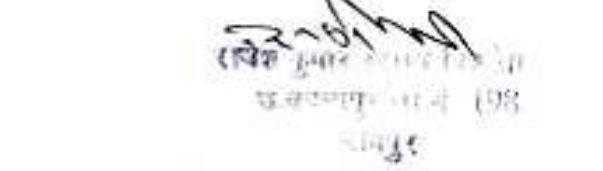
मशविराकर्ता के नाम व पता–

राधेश्याम सिंह एडवोकेट
बरौली, बदलापुर, जौनपुर

Radhey Singh Advocate
Dt:-11/12/10

क्रमांक 1453 दि. 11-2 पृ. 1(a)24472

प्रस्ताव 2010



11-2-10

IV 3

149-180





अनुलग्नक (1)

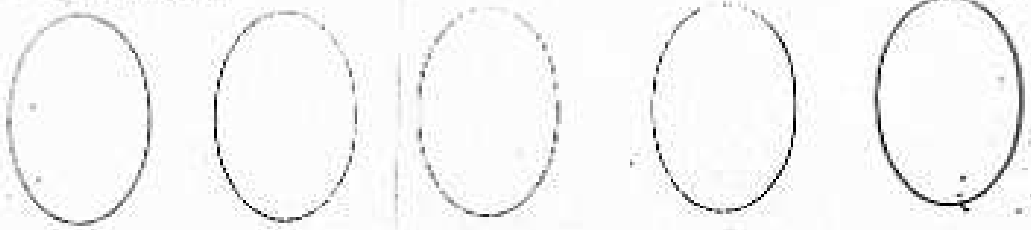
फिंगर प्रिन्ट्स

.....

.....



.....



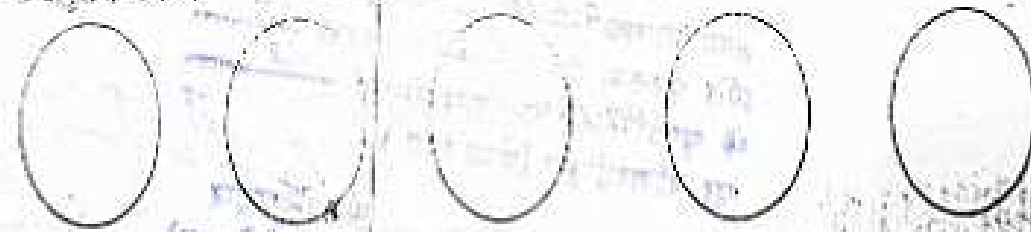
.....

अनुरक्षक/थिकेता/केता के हस्ताक्षर

.....



.....



.....

थिकेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 11-2-10 को इलेक्ट्रोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या IV खण्ड 3
के पृष्ठ 149-180 पर क्रम संख्या 2
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

सब-रजिस्ट्रार
बदलपुर (जौनपुर)